प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0 सं. 107/22 दिनांक 31/03/2022
2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 धाराये 7
   (II) * अधिनियम .... धारायें .....
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 595 समय . 11.45 Pm
   (ब) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक 30.03.2022 समय 08.42 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ...23.02.2022.....समय ...01:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– उत्तर–पश्चिम दिशा, लगभग 02 किमी.
(ब) पता पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व, जयपुर
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री सत्यनारायण
   (ब) पिता/पति का नाम श्री किशन लाल
   (स) जन्म तिथी/वर्ष करीब .....53 साल.....
   (द) राष्ट्रीयता . भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय – प्राईवेट
   (ल) पता – निवासी तलाई कच्ची बस्ती प्रयाग पब्लिक स्कूल के पास इन्द्रा नगर, झालाना डूंगरी, जयपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   1. आरोपी श्री परमाराम बुडानिया पुत्र श्री जगुराम बुडानिया उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट हमीरपुरा तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राजस्थान) हाल स.उ.नि. पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर (पूर्व)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 23.02.2022 को परिवादी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री किशन लाल उम्र 53 साल जाति रैगर, निवासी तलाई कच्ची बस्ती प्रयाग पब्लिक स्कूल के पास इन्द्रानगर, झालाना डूंगरी, जयपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं मकानो में टाईल, मार्बल लगाने का काम करता हूं। मैं तलाई कच्ची बस्ती इन्द्रानगर झालाना डूंगरी में रहता हूं मेरे पडोस में छोटी देवी रहती है इसने मेरी घरवाली रामकन्या से अपनी लडकी की सगाई तथा अन्य खर्चे के लिए 90 हजार रूपयें उधार पेटे लिए थे। 2 महिने वादा किया था मेरी घरवाली ने पैसे वापस मांगे तो मेरे खिलाफ बलात्कार का झूंठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था गांधी नगर थाने के प्रेम कुमार शर्मा जी थानेदार ने जांच की थी मुझे थाने पर बुलाकर बयान लिए थे करीब तीन महिने पहले मेरे पास मोबाईल नं 9772074354 से मेरे मोबाईल पर फोन आया मुझे फोन कर कहा की मैं परमाराम बुधानियां बोल रहा हूं गांधी नगर थाने से आपका केस मेरे पास आ गया है मुझे थाने पर बुलाया मैं थाना गांधी नगर में गया तो वहां परमाराम ने मुझसे 50 हजार रूपये मांगे और कहा की इसमें तेरा सारा काम हो जाएगा तू तेरी दोनो बच्चीयों को और पत्नी को ले आना इसके बाद मैं जनवरी 2022 को मैं मेरी पत्नी व दोनो बच्चियों को लेकर गांधी नगर थाने में गया तो परमाराम जी ने हमें बिठा लिया और कहा की किसी जमानती को बुलाओ तो मैं मेरे रिश्तेदार मोहनजी को बुलाया मोहनलाल जी से हमारी जमानत करवाई। मोहन लाल जी ने कहा की साहब ये गरीब आदमी है बक्सो तो परमारामजी ने मोहनलाल जी को 20हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जिस पर मोहन लाल जी ने मुझे बताया कि परमारामजी आपको छोडने के 20हजार रूपये मांग रहे है फिर मैंने कहा की में पैसो की व्यवस्था करके बताउंगा इसके बाद मुझे परमारामजी फोन करके धमकाता है, एवं बार बार थाने बुलाता हैं और रिश्वत की मांग करता है अब मेरे पास परमारामजी का थाने पर बुलाने का फोन आने पर आपको बता दूंगा, मेरी गांधी नगर थाने के परमाराम जी थानेदार से किसी प्रकार का लेन–देन नही है व ना ही कोई पुरानी रंजीश है" उपरोक्त शिकायत व मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने के कारण कार्यालय में से श्री हरकेश कानि. को बुलवाया गया तथा परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया और श्री हरकेश कानि. को हिदायत की गई कि. परिवादी जब भी संदिग्ध श्री परमाराम को से रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करने जाये उससे पूर्व मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करावें एवं रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करें। इसके बाद परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया।

इसके बाद दिनांक 27.03.2022 को समय 07:10 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक को कानि हरकेश न. 69 ने बताया कि परिवादी सत्यनारायण के पास 25.03.2022 को परमाराम जी का फोन आया है जिसने परिवादी को आज शाम को थाने पर बुलाया है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कानि हरकेश नं. 69 को परिवादी से सम्पर्क कर समय पर कार्यालय आने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 27.03.2022 को समय 05:25 पी.एम. पर परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि आज गांधी नगर थाने के श्री परमाररराम ने फोन कर मुझे थाने पर बुलाया है जहां पर वह मेरे से मेरे खिलाफ दर्ज प्रकरण में राहत देने के लिए रिश्वत की मांग करेगा रिश्वत मांग सत्यापन के लिए पूर्व से पाबंदशुदा कानि हरकेश नं.69 को तलब कर आलमारी से वॉइस टेप रिकार्डर निकाल कर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री सत्यनाराण रैगर व कानि हरकेश कुमार नं. 69 को चालू करना व बंद करने की प्रक्रिया अच्छी तरह समझाईश कर कानि. हरकेश कुमार नं. 69 को वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर के साथ मुनासिब हिदायद कर सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया।

दिनांक 28.03.2022 को समय 10:50ए.एम. पर कानि. हरकेश कुमार नं 69 व परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर उपस्थित कार्यालय आये व हरकेश कानि 69 ने वॉईस रिकॉडर सुपुर्द कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी एसीबी कार्यालय से रवाना होकर गांधी सर्किल के पास पहुंचे जहां पर परिवादी की पत्नी श्रीमती रामकन्या भी मिली मैंने वॉइस रिकॉडर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री परमाराम थानेदार गांधी नगर थाने के पास रिश्वत मांग की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया व मैं भी उसके पीछे रवाना होकर गांधी नगर थाने के सामने पहुंचा जहां पर परिवादी थाने के अन्दर प्रवेश करने पर पीछे–पीछे अपनी पहचान छुपाते हुए मै भी थाने के अन्दर जाकर परिवादी पर नजर रखी करीब 3 घण्टे के बाद परिवादी थाने के बाहर आया जिसने वॉईस रिकॉडर बंद कर मुझे

सुपुर्द कर बताया कि मेरी परमारामजी से रिश्वत मांग के संबंध में बात हो गई है परमारामजी ने 20 हजार रूपये की मांग की जिसको मैंने रिकॉडर में रिकॉर्ड कर लिया है । परिवादी ने भी कानि. हरकेश कुमार की बातो की ताईद करते हुए बताया कि मैं व मेरी पत्नी गांधी नगर थाने के अन्दर परमारामजी थानेदार के पास गये तो परमारामजी ने पहले तो हम को बैठाया और परमारामजी के पास अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे उनके जाने के बाद परमारामजी पहले तो मेरे से पूछताछ करता रहा तथा पूछताछ करने के बाद मेरे से बीस हजार रूपये की मांग की जब मैने एक दो दिन का टाईम देने के लिए कहा तो एक घण्टे का भी समय देने से मना किया, दो दिन थाने पर ही बैठे रहने की कही जिसने मेरी पत्नी से दो हजार रूपये ले लिए और फिर बडी मुश्किल हमे एक दिन का समय देकर छोडा गया, इसके बाद वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने कम्प्यूटर में लगा कर सरसरी तोर पर सूना तो परिवादी की कही गई बातो की ताईद हुई एवं रिश्वत मांग की वार्ता होना पाया। जिसकी आईन्दा स्वतंत्र गवाहो को तलब कर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं कल तक व्यवस्था कर ले आउंगा, जिसको बाद हिदायत रूख्सत किया गया।

दिनांक 29.03.2022 को पाबंद शुदा परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर व स्वतंत्र गवाहन श्री प्रशान्त उपाध्याय सहायक प्रबंधक व श्री सुरेश चौधरी सहायक प्रबंधक मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहन का आपस में परिचय करवाया व परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र का स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन कराया एवं स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहन ने गोपनीय कार्यवाही हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की एवं स्वतंत्र गवाहन ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये।परिवादी ने अपने विरूद्व छोटादेवी के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की फोटो कॉपी पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री सत्यनारायण के पास आरोपी श्री परमाराम का थाने पर बुलाने के फोन आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद दिनांक 29.03.2022 को समय 05:42 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के सामने आरोपी श्री परमाराम ने परिवादी श्री सत्यनारायण को फोन कर बताया कि आप अपने गवाह लेकर आ जाना जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं तो अभी गवाह से बात करूंगा और कल लेकर आ जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहन को कल समय पर उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत कर रूख्सत किया।

दिनांक 30.03.2022 को परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर, स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त उपाध्याय व श्री सुरेश चौधरी उपस्थित कार्यालय आये है। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री किशनलाल उम्र 35 साल जाति रेगर निवासी तलाई कच्ची बस्ती प्रयाग पब्लिक स्कूल के पास इन्द्रा नगर झालाना डूंगरी जयपुर को संदिग्ध आरोपी परमाराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी सत्यनारायण ने अपने पास से 500–500 रूपये के तीस नोट भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 15,000/–रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द में पृथक से अंकित किये गये। उपरोक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 15,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी सत्यनारायण की जामा तलाशी गवाह श्री प्रशान्त उपाध्याय सहायक प्रबंधक से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल चस्मा, आधार कार्ड के सिवाय व नगद 200/– रूपये के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 15,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक से परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर की पहनी हुई पेन्ट की बांई तरफ की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ

कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री खेमचन्द वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय में पूर्व से सुरक्षित रखा गया डिजिटल वॉयस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड लगा कर मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यवाही फर्द सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाऊडर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 30.03.2022 को समय 02:45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक शिवराजसिंह मय हमरा श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी सदस्य श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री गजानन्द एएसआई ,श्री करणसिंह मुख्य आरक्षी 67, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519, श्री सुरेश कुमार कानि. नं 407, श्री रिजवान कानि. नं.167 श्री विरेन्द्र कानि.212 श्री हरकेश कुमार कानि 69, श्री रूपकिशोर कानि.74, श्रीराम कानि नं. 295 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री चिमनाराम, मय प्राईवेट वाहन मय सरकारी मोटरसाईकिल मय ट्रेप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ।

इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गांधी नगर थाने के पास जयपुर पहुचां परिवादी के बताये अनुसार मौका निरीक्षण कर वाहनों को गोपनीय तरीके से खडा कर ट्रैप जाल बिछाया। परिवादी को विभागीय डिजीटल रिकार्डर चालू कर देकर मुनासिब हिदायत कर रवाना किया तथा उसके पीछे पीछे श्री हरकेश कुमार कानि0 69,को रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक एवं अन्य ब्यूरों स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाह सरकारी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना गांधी नगर जयपुर के आस–पास छुपाव हासिल करते हुए वाहनों को खड़ा कर अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुए मुकीम होकर परिवादी के ईशारे के इंतजार मे मुकीम हुए। इसके कुछ देर बाद मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर ने पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर पूर्व से बाहर आकर बताया कि संदिग्ध श्री परमाराम एएसआई ने मुझे प्रकरण में गवाह लाने की कहा है और घंटे दो घंटे में आ जाओ मै थाने पर ही मिलूगा आज आपका काम करेगे और साथ ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिवार्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित हालात में रखा गया। इसके बाद परिवादी ने अपने गवाह श्री सीताराम उर्फ पिन्टू को फोन कर अपने पास बुला लिया।

इसके बाद समय 06:10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर व गवाह श्री सीताराम उर्फ पिन्टू को संदिग्ध के बताये अनुसार पुन डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री परमाराम एएसआई के पास थाना गांधीनगर जयपुर के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री हरकेश कुमार कानि0 69 को रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम मय स्वतंत्र गवाह परिवादी के ईशारे के लिए मुकीम हुआ।

इसके बाद समय 08:42 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी टीम के पुलिस थाना गांधी नगर, जयपुर पूर्व के मुख्य द्वार पर पहुंचा,

जहां पर मुख्य द्वार के बांयी ओर परिवादी मौजूद मिला जिससे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बन्द किया गया। परिवादी ने बताया कि मैं अपने पक्ष के गवाह श्री सीताराम जलुथरिया उर्फ पिन्टू पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी इन्द्रा नगर, झालाना कच्ची बस्ती के साथ पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व में श्री परमाराम बुडानिया स.उ.नि. के पास उनके कमरे में गया। श्री परमाराम जी ने पहले तो श्री सीताराम उर्फ पिन्टू के बयान दर्ज किये इसके बाद श्री सीताराम को अपने घर के लिए रवाना कर दिया तथा मेरे से कहा कि मेरा रीडर आ रहा है आप बैठों, इसके बाद श्री परमाराम जी थानेदार जी थाने से बाहर चले गये, इसके आधे घंटे बाद आये और मुझ से पैसे मांगने का हाथ से ईशारा किया, मैनें हाथ से ईशारा किया कि यहीं दूं या बाहर दूं, इसके बाद श्री परमाराम जी ने मुझे कहा कि यही पर दे दो, इस पर मैनें कहा कि यह पन्द्रह हजार है, तीन हजार मैंने पहले दे दिये आपको और दो हजार रूपये परसों दे गया था, टोटल यह बीस हजार हो गये फिर उन्होने कहा ठीक है, फिर श्री परमाराम जी ने उस राशि में से चार नोट पांच पांच सौ रूपये के निकाल कर मुझे दिये, इस पर मैनें उनको मना भी किया। फिर श्री परमाराम जी ने रिश्वत राशि को अपनी टेबिल पर रख दिया था और मुझे बाहर भेज दिया, इसके बाद मैंनें बाहर आकर आपके मोबाइल नम्बर पर मिस कॉल कर दिया। इसके बाद परिवादी को आरोपी द्वारा दिये गये पांच पांच सौ के चार नोटों को लेकर स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त को सुरक्षित रखने हेतु दिये। इसके बाद परिवादी को साथ लेकर श्री परमराम स.उ.नि के कमरे में पहुंचा जहां पर श्री परमाराम स.उ.नि. मौजूद नहीं मिला। इसके बाद श्री परमाराम स.उ.नि. के कमरे में उसकी टेबिल की तलाशी ली गई तो अन्य फाईलों के अलावा परिवादी श्री सत्यनारायण के विरूद्ध पुलिस थाना गांधीनगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 262/2021 की पत्रावली मिली एवं श्री सत्यनारायण का दिनांक 27.03.2022 का हाथ से कशीद किया हुआ पूछताछ नोट, दिनांक 27.03.2022 को कम्प्यूटर से टाईपशुदा पूछताछ नोट, श्री सत्यनारायण का टाईपशुदा पूछताछ नोट जिस पर कोई साईन नहीं, ना ही कोई तारीख का अंकन है तथा एक हाथ श्री सीताराम जलूथरिया पुत्र श्री कैलाश चंद जाति रैगर उम्र 30 साल, निवासी कच्ची बस्ती, इन्द्रानगर, झालाना डूंगरी पी.एस. गांधीनगर नगर, जयपुर हाथ से लिखा हुआ है, जो एक असल व दो कार्बन प्रतियों में, तीनों पृष्ठ खाली है। प्रकरण संख्या 262/2021 की मूल पत्रावली के अतिरिक्त परिवादी सत्यनारायण से संबंधित उक्त खुले कागजातों पर 01 से 12 अंकित कर, सभी पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी श्री सत्यनारायण ने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि दोनों हाथों से गिनकर अपनी टेबिल के उपर रखे कार्ड बोर्ड एवं कार्बनों पर रख दिये थे, इस पर टेबिल के उक्त स्थान को सुरक्षित रखवाया जाकर, स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति कमरे की तलाशी शुरू की गई। कमरे की दाहिनी तरफ बनी लकडी की आलमारियों के हैगर में टंगी हुई एक सिविल ड्रेस एवं एक खाकी वर्दी हैगर में टंगी हुई नजर आई। इस पर उक्त खाकी वर्दी का निरीक्षण किया गया तो शर्ट के दोनों कंधों पर एक–एक स्टार एवं परमराम बुडानियां की नेमप्लेट लगी हुई पाई गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त से उक्त वर्दी की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की दाहिनीं जेब में पांच पांच सौ रूपये के नोट मिले, जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 26 नोट कुल 13 हजार रूपये होना पाये गये। इन नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो फर्द पेशकशी में बनी फर्द पेशकशी से किया गया तो फर्द पेशकशी में बनी नोटों के नम्बरों की सूची के क्रम संख्या 01 से 26 तक के नम्बरी नोट हुबहु होना पाये गये। उक्त राशि को स्वतंत्र गवाह श्री प्रशांत के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री परमाराम बुडानिया की वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टवाकर, उक्त तैयारशुदा रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क क्रमशः PPW-1 व PPW-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब को सुखाकर, जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर, आरोपी की वर्दी की पेन्ट एवं शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का P अंकित कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर

कब्जा ए.सी.बी लिया गया। इसके पश्चात पुनः ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास निकालकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया, जो रंगहीन रहा। तत्पश्चात टेबिल के सुरक्षित रखे गये स्थान जिस पर कार्ड बोर्ड एवं कार्बनों के उपर आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी थी, उस स्थान पर एक रूई के फोये से रगड कर रूई के फोये को उपरोक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया, तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क क्रमशः TW-1 व TW-2 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद जिस रूई के फोहे से धोवन लिया गया था, को सुखाकर एक प्लास्टीक की छोटी पारदर्शी टिब्बी में रखकर, डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर मार्का R अंकित कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। इसके बाद कार्डबोर्ड एवं कार्बन जिन पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखी गई थी, को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर, थैली पर मार्का CCB अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी द्वारा रिश्वत राशि में से परिवादी को लोटाये गये पांच पांच सौ रूपये के चार नोट जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री प्रशान्त के पास सुरक्षित रखवाया गया था, का मिलान फर्द पेशकशी से किया गया तो फर्द पेशकशी में बनी नोटों के नम्बरों की सूची के क्रम संख्या 27 से 30 तक के नम्बरी नोट हुबहु होना पाये गये। उक्त पांच पांच सौ रूपये के चारों नोटों को एक सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की वर्दी की पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत राशि पांच पांच सौ रूपये के 26 नोट कुल 13 हजार रूपयों को एक सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन वार्ता होना पायी गई, जिसका वार्ता रूपांतरण आईन्दा तैयार किया जावेगा। इसके बाद आरोपी श्री परमाराम बुडानियां, सउनि की थाना परिसर एवं आस पास के क्षैत्र में तलाश किया गया तो आरोपी नहीं मिला। जिस पर थाना स्टाफ से आरोपी के आवास का मालूमात किया गया तो अजमेरी गेट पर स्थित यादगार के पीछे बने सरकार आवास में रहना बताया गया, जिस पर हमराही जाप्ते में से श्री सुरेश कानि. एवं श्री रिजवान कानि. को तलाश हेतु मोटर साईकिल से आरोपी के सरकारी निवास पर हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया एवं उच्चाधिकारियों को आरोपी के निवास की खाना तलाशी लिवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। इसके बाद परिवादी श्री सत्यनारायण के विरूद्ध पुलिस थाना गांधीनगर पर दर्ज प्रकरण संख्या 262/2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश करने बाबत थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर के नाम तहरीर जरिये क्रमांक स्पेशल–1 दिनांक 30.03.2022 जारी कर, पत्र की एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपी श्री परमाराम बुडानियां को पेश करने बाबत थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर के नाम तहरीर जरिये क्रमांक स्पेशल–2 दिनांक 30.03.2022 जारी कर, पत्र की एक प्रति शामिल पत्रावली की गई। श्री रिजवान कानि. व श्री सुरेश कानि. उपस्थित थाना आये और बताया कि आरोपी श्री परमाराम बुडानिया को उसके सरकारी निवास एवं आस पास के क्षैत्र में तलाश किया, परन्तु आरोपी कहीं नहीं मिला।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री परमाराम पुत्र बुडानिया श्री जगुराम बुडानिया उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट हमीरपुरा तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राजस्थान) हाल स.उ.नि. पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर (पूर्व) द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण से उसके विरूद्ध पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व पर दर्ज प्रकरण संख्या 262/2021 में संगीन धाराओं को हटाकर मामले को हल्का करने की ऐवज में 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर, उक्त मांग के अनुशरण में परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि में से 02 हजार रूपये परिवादी को वापस लौटाना एवं शेष बची रिश्वत राशि 13 हजार रूपये आरोपी की हैगर में टंगी वर्दी की पेन्ट दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री परमाराम बुडानिया, स.उ.नि. पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी अपने पदस्थापन स्थान से फरार है, आरोपी की तलाश कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा। उक्त

रिश्वत राशि बरामदगी स्थल की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर परिवादी श्री सत्यनारायण रैगर की निशा देही से स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी मे नक्शा मौका तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय एसीबी टीम के पुलिस थाना गांधीनगर से रवाना होकर ए.सी.बी. मुख्यालय आया।

इसके बाद दिनांक 31.03.2022 को उपरोक्त कार्यवाही में शिल्डशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में दिनांक 27.03.2022 को परिवादी व आरोपी श्री परमाराम बुडानियां सउनि के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का फर्द वार्तातंरण तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया, उपरोक्त वार्ता में आरोपी श्री परमाराम की आवाज एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री सत्यनारायण द्वारा की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप का संबंधित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर उनमें बारी–बारी से लैपटॉप की सहायता डिजिटल वाईस रिकार्डर से डाउनलोड किया गया। तीनों डीवीडी को कम्प्यूटर में चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं का होना सुनिश्चित कर तीनों डीवीडी पर क्रमशः मार्का–A-1, मार्का –A-2 व मार्का –A-3 अंकित कर तीनो डीवीडी पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का–A-1, मार्का –A-2 डीवीडी को दो पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रख कर कपडे की थैलियों पर मार्का–A-1, मार्का –A-2 अंकित कर सील मोहर कर थैलियों पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तीसरी डीवीडी मार्का –A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में मौजूद वार्ता मैमोरी कार्ड में रिकार्ड ना होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर की मैमोरी में ही रिकार्ड है इसलिए डिजिटल वाईस रिकार्डर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का –VR अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके पश्चात दिनांक 30.03.2022 को वक्त रिश्वत लेन देन हुई परिवादी श्री सत्यनारायण व आरोपी श्री परमाराम बुडानिया के मध्य हुई वार्ता का फर्द वार्तातंरण तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया, उपरोक्त वार्ता में आरोपी श्री परमाराम की आवाज एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री सत्यनारायण द्वारा की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप का संबंधित वॉईस क्लिप से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर उनमें बारी–बारी से लैपटॉप की सहायता डिजिटल वाईस रिकार्डर से डाउनलोड किया गया। तीनों डीवीडी को कम्प्यूटर में चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं का होना सुनिश्चित कर तीनों डीवीडी पर क्रमशः मार्का–B-1, मार्का –B-2 व मार्का –B-3 अंकित कर तीनो डीवीडी पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का–B-1, मार्का –B-2 डीवीडी को दो पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रख कर कपडे की थैलियों पर मार्का–B-1, मार्का –B-2 अंकित कर सील मोहर कर थैलियों पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तीसरी डीवीडी मार्का –B-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को एक पारदर्शी प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का –M अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री परमाराम बुडानिया पुत्र श्री जगुराम बुडानिया उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट हमीरपुरा तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राजस्थान) हाल स.उ.नि. पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर (पूर्व) द्वारा परिवादी श्री सत्यनारायण से उसके विरूद्ध पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व पर दर्ज प्रकरण संख्या 262/2021 में संगीन धाराओं को हटाकर मामले को हल्का करने की ऐवज में 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर, उक्त मांग के अनुशरण में परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि में से 02 हजार रूपये परिवादी को वापस लौटाना एवं शेष बची रिश्वत राशि 13 हजार रूपये आरोपी की हैगर में टंगी वर्दी की पेन्ट दाहिनी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री परमाराम बुडानिया, स.उ.नि.

पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत **भ्रष्टाचार** निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी **श्री** परमाराम बुडानिया पुत्र श्री जगुराम **बुडानिया** उम्र 51 साल जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट हमीरपुरा तहसील व थाना लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राजस्थान) हाल स.उ.नि. पुलिस थाना गांधीनगर, आयुक्तालय जयपुर (पूर्व) के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

(शिवराजसिंह)
पुलिस निरीक्षक
स्पेशल यूनिट द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिवराजसिंह, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री परमाराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 107/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.3.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 949-53 दिनांक 31.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।